मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

ज्ञा प न.

क्रमांक १२६६ :७३१:एक:३:   भोपाल, दिनांक ~~१ अप्रैल १९८८~~
                                        २२ जून, १९६६.

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
सब संभागीय आयुक्त,
सब जिलाध्यक्ष,
सब विभागाध्यक्ष ।

विषय:- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५-संशोधन ।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक १२६७।७३१-एक(तीन), दिनांक २२ जून, १९६६ द्वारा संशोधन किया गया है उसकी एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है ।

नगेन्द्र मोहन व्यास
(नगेन्द्र मोहन व्यास)
सहायक सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक १२७० ।७३१-एक(३)   भोपाल, दिनांक २२ जून, १९६६.

प्रतिलिपि :-

निबंधक, उच्च न्यायालय, म०प्र० जबलपुर
सचिव, सतर्कता आयोग, भोपाल
सचिव, विधान सभा सचिवालय,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव,
लायजन, आफीसर, म०प्र०, २ कौटिल्य लेन, न्यु देहली

प्रतिलिपि अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

नगेन्द्र मोहन व्यास
सहायक सचिव ।

: पलया :
२१:६:६६

मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

अ धि सू च ना.

भोपाल, दिनांक १ आषाढ़ १८८८.
२२ जून, १९६६.

क्रमांक १२६७ :७३१:एक:तीन: संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, --

(१) नियम १६ के उपनियम (४) के खण्ड (एक) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"परन्तु यह और भी कि इस नियम की कोई भी बात शासकीय सेवक द्वारा, शासन की पूर्व मंजूरी से अपने आप को आबद्ध किये गये लेन-देन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।"

(२) नियम १८ के उपनियम (३) में शब्द "ऐसी जंगम संपत्ति से जो उसके स्वामित्व की हो" से प्रारम्भ होने वाले तथा शब्द "संबंधित प्रत्येक लेन-देन" से समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर शब्द "जंगम संपत्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा या तो उसके स्वयं के नाम से या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किये गये प्रत्येक लेन-देन" स्थापित किये जांय।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(लक्ष्मीनारायण सरजे)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

:पलर्या:
२१:६:६६

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, Bhopal the 22nd June, 1966.
1 Aist. 1888

No. 1267 -731-I(iii) - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, - -

(1) in clause (i) of sub-rule (4) of rule 16, after the existing proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:-

" Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered into by a Government servant with the previous sanction of the Government";

(2) in sub-rule (3) of rule 18, for the portion commencing with the words "Transaction concerning movable property" and ending with the words " member of his family", the words "transaction entered into by him either in his own name or in the name of a member of his family in respect of movable property" shall be substituted.

By order and in the name of
the Governor of Madhya Pradesh.

(L.B. Sarje)
Additional Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
General Administration Department.

J.C/21/C/